न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 33/2016

तारीख रजू 17.10.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. पुष्पेन्द्र मथुरिया पुत्र सत्यनारायण मथुरिया (विक्रेता) जाति मथुरिया मैसर्स सत्यनारायण गिर्राज प्रसाद बालेर रोड खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. सत्यनारायण पुत्र राधेश्याम मथुरिया (फर्म मालिक) मैसर्स सत्यनारायण गिर्राज प्रसाद बालेर रोड खण्डार जिला सवाई माधोपुर निवासी बालेर रोड खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. गंगासहाय पुत्र केसर लाल चौधरी मैसर्स – रामवल्लभ शिवबक्स चौधरी सब्जी मण्डी शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर
4. अम्बरीश तिवारी पुत्र राजन लाल तिवारी (नोमिनी) मैसर्स दिव्या एग्रो फूड प्रोडक्टस प्रा0 लि0 एफ'169–172 एवं जी–173–176 फूड एग्रो पार्क –2 रानपुर कोटा 324003
5. मैसर्स दिव्या एग्रो फूड प्रोडक्टस प्रा0 लि0 एफ'169–172 एवं जी–173–176 फूड एग्रो पार्क –2 रानपुर कोटा 324003 (निर्माता फर्म)

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः–

दिनांक 25/7/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 08.12.2015 को समय 12.30 पी.एम. पर मैसर्स सत्यनारायण गिर्राज प्रसाद बालेर रोड खण्डर जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहॉ पर पुष्पेन्द्र मथुरिया पुत्र सत्यनारायण मथुरिया (विक्रेता) निवासी बालेर रोड, खण्डार, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर उपस्थित मिला। आवेदक ने अभियुक्त को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। लेकिन विक्रेता द्वारा बताया गया कि सत्यनारायण पुत्र राधेश्याम मथुरिया मैसर्स सत्यनारायण गिर्राज प्रसाद बालेर रोड खण्डार जिला सवाई माधोपुर का मालिक होना बताया। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ घी (ऑनेस्ट ब्राण्ड) 1 लीटर गत्ता पैक दुकान में रखे हुए थे, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:52 IST
Reason: SelfAttested

ली गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ऑनेस्ट ब्राण्ड) 1 लीटर गत्ता पैक के 04 पैकिट्स वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 1320/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ऑनेस्ट ब्राण्ड) 1 लीटर गत्ता पैक का क्रय बिल मांगा तत्पश्चात विक्रेता द्वारा मौके पर क्रय बिल प्रस्तुत किया तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ घी (ऑनेस्ट ब्राण्ड) 1 लीटर गत्ता पैक के 04 पैकिट्स को मूल ही लेकर खाकी कागज में लपेटकर पैकिट्स तैयार कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाकर एवं चारों नमूना भागो को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **एच–803** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर तथा धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। यह कि आवेदक ने मौके पर फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे गवाह एवं विक्रेता पुष्पेन्द्र पुत्र सत्यनारायण मथुरिया ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया, एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवॅर में सीलबन्द कर सील मोहन कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक कैलाश चन्द सेन वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गयी, दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/678 दिनांक 02.03.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/4196/एक्ट/2015/616 दिनांक 16.02.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (ऑनेस्ट ब्राण्ड) 1 लीटर गत्ता पैक मिसब्राण्ड (Mis-branded)** पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण ने **मिसब्राण्ड (Mis-branded)** खाद्य पदार्थ **घी (ऑनेस्ट ब्राण्ड)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:52 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने **मिसब्राण्ड (Mis-branded)** खाद्य पदार्थ **घी (ऑनेस्ट ब्राण्ड)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की दुकान से घी (ऑनेस्ट ब्राण्ड) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति एवं मानक स्तर का माना गया है प्रार्थी को नियमों की जानकारी नहीं थी। भविष्य दोबारा उक्त गलती को नहीं दोहराया जावेंगा। प्रार्थी को न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/4196/एक्ट/2015/616 दिनांक 16.02.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (ऑनेस्ट ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)) पाया गया है। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता द्वारा भी बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनत्तम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु घी (ऑनेस्ट ब्राण्ड) 1 लीटर गत्ता पैक** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 2 पर संयुक्त रूप से 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

अभियुक्त संख्या 3 के फौत हो जाने के कारण अभियुक्त संख्या 3 का नाम प्रकरण से हज़फ किया जाता है। अभियुक्त संख्या 4 व 5 का पत्रावली में उपलब्ध अभियोग पत्र में निवास का पता नहीं होने तथा रजिस्टर्ड डाक की पुश्त पर फर्म बन्द हो जाने तथा अभियुक्त संख्या 4 द्वारा नौकरी छोड देने के कारण तामीली नहीं होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को पत्र क्रमांक 1397 दिनांक 14.11.2022 भिजवाया गया था किन्तु अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा आदिनांक तक कोई प्रतियुत्तर प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण अभियुक्त संख्या 4 व 5 पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को आदिनांक तब जवाब नहीं भिजवाने के संबंध में पृथक से नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लिया जावे तथा भविष्य में न्यायालय से प्राप्त पत्रों का प्राथमिकता से जवाब भिजवाने हेतु पाबन्द किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:52 IST
Reason: SelfAttested